

डॉ. प्रियांका कुमारी (सहायक प्रोफेसर) महाराजा संग्रहालय, अहमदाबाद

- अनुमान एक ज्ञान के बाद और उसके कारण उत्पन्न होने का दूसरा ज्ञान अनुमान है, जैसे - धूम से तन्त्रि का ज्ञान।
- गौतम मुनि ने अनुमान को 'तत्त्वपूर्विकम प्रत्यक्ष मूलक' कहा।
- 44 - अनुमान के तीन वाच्यव होते हैं - पक्ष, साध्य और हेतु।
 - साध्य - जिस वस्तु को सिद्ध करना है उसे साध्य कहते हैं।
 - हेतु - जिसके द्वारा सिद्ध करना है उसे हेतु कहते हैं।
 - पक्ष - जिसमें सिद्ध करना है उसे पक्ष कहते हैं।
- अनुमान का आधार व्याप्ति है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और लागान्य सम्बन्ध को व्याप्ति कहा जाता जैसे - जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-ही आग है यह व्याप्ति वाक्य।
- व्याप्ति की अतिनाभावनिवृत्त या न्यूनसाहचर्यनिवृत्त भी कहते हैं।
- अनुमान में पाँच वाक्य होते हैं - प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण उपन्या और निगमन।
- अनुमान के दो रूप हैं - स्वार्थानुमान और परार्थानुमान।
- गौतम मुनि ने न्यायशास्त्र में तीन प्रकार के अनुमान का उल्लेख किया है - पूर्वक, शेषवत् और लागान्यगीहृत्।
- न्याय के मतानुसार व्याप्ति की स्थापना द्वय विधियों द्वारा पूरी होती है।
 - (1) अनवद्य - एक वस्तु के भाव वही दूसरी वस्तु भाव होना। जैसे - जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-ही आग है।
 - (2) व्यतिरेक - एक वस्तु के भावाव ही दूसरी वस्तु का भावाव ही जैसे - जहाँ-जहाँ आग नहीं है वहाँ-वहाँ धुआँ भी नहीं है।
 - (3) व्यभिचारान्तर - दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का भावाव व्यभिचारान्तर कहा जाता है।
 - (4) उपाधिनिवृत्त -
 - (5) तर्क - नैयायिक व्याप्ति की स्थापना अनुभव के साथ तर्क के द्वारा भी करता है। तर्क के द्वारा जिक्री पुगेह करता है ताकि किली संशयवादी के मन में सन्देह न रह सके।
 - (6) सामान्य लक्षण-प्रत्यक्ष - व्याप्ति में पूर्ण निश्चयवाक्यता होने के लिए नैयायिक सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का प्रयोग है। इसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रत्यक्ष में जिसकी व्याप्ति की प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे - मनुष्य के प्रत्यक्ष में ही उसके व्याप्ति मनुष्यत्व का भी स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है।

- हल्काभाष - 'सावधान': हल्काभाष का शब्द हेतु का आगाव है।

अनुमान हेतु का प्रयोग होता है।
तो अनुमान दुषित हो जायेगा। अतः अनुमान के दोष को हल्काभाष कहा जाता है।

- न्याय-तर्कशास्त्र में पाँच प्रकार के हल्काभाष माने जाते हैं:-

(1) सख्यभित्ति - इसे अनैकान्तिक भी कहते हैं। यह त्रिविध है अनुमान का सही होने के लिए आवश्यक है कि हेतु का साध्य के साथ ऐकान्तिक सम्बन्ध हो। सख्यभित्ति का दोष तब उत्पन्न होता है जब हेतु का सम्बन्ध कभी साध्य से रहता हो और कभी साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु से रहता हो। इसके तीन भेद -

(A) वाधाला (B) हाताधारण (C) अनुपसंहारी

(2) विलक्ष - जब हेतु साध्य का सिद्ध नहीं करके उसके विरोधी का ही सिद्ध कर देता है तब विलक्ष हल्काभाष उदय होता है। जैसे - हवा गापी है, क्योंकि वह खाली है।

(3) सख्यप्रतिपक्ष :- जिस हेतु के साध्य का आगाव दूसरे हेतु द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे सख्यप्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे, शहरके अर्थ होने के कारण निरक्षर हैं, किन्तु यहाँ शहरके की अनित्यता सिद्ध करने के लिये दूसरा हेतु भी इस प्रकार है, शहरके कार्य होने के कारण अनित्य है।

(4) असिद्ध - जब हेतु की पक्ष में विद्यमानता न हो तो वह हेतु असिद्ध है। दूसरे शब्दों में हेतु का प्रयोग साध्य को सिद्ध करने के लिये होता है। परन्तु अगर ऐसा साध्य हो कि हेतु स्वयं असिद्ध हो तो उसे हल्काभाष को असिद्ध कहा जाता है। जैसे - घाया द्रव्य है, क्योंकि यह गतिशील है।

(5) असिद्ध तीन प्रकार का होता है -

(A) आश्रयासिद्ध (B) स्वात्पासिद्ध (C) न्यायत्ववासिद्ध

(6) आधित - जब हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य का दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप में खंडन हो जाय तो उसे आधित हल्काभाष कहा जाता है। आधित का शाब्दिक अर्थ है 'खंडन'।

जैसे - आज ठण्डी है, क्योंकि वह मूल्य है।

यहाँ मूल्य के आधार पर आज का ठण्डी होना प्रमाणित किया जाये।

यहाँ आज के द्वारा यह खंडन हो जाता है।